Impact Factor (SJIF): 4.714 **E-ISSN: 2583-1615**

International Journal of Research in Academic World

Received: 15/December/2022 **IJRAW:** 2023; 2(1):68-70 **Accepted:** 18/January/2023

भारत में महिला सशक्तिकरण एक कदम सामाजिक विकास की ओर

[*1]डॉ. सन्त कुमार मीणा

[*1]Assistant Professor, Department of EAFM, Government College Bundi, Rajasthan, India.

सारांश

वर्तमान में हमारे देश के समक्ष कई चुनौतियां हैं जो देश के विकास के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं इस वर्ष हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है देश को आजाद हुए 75 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में लेकिन सही मायने में आज भी हमारा देश गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आर्थिक विषमता, लिंग असमानता, शिक्षा का अभाव आदि कई मुख्य समस्याओं से ग्रसित हैं। देश के सर्वांगीण विकास के लिए सभी क्षेत्रों आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि का विकास होना आवश्यक हैं और इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को नकारा नहीं जा सकता इतिहास गवाह है देश की आजादी हेतु जितनी क्रांतियां हुई है उनमें महिलाओं की सराहनीय भागीदारी रही हैं किंतु हमारे देश में आज भी महिला सशक्तिकरण को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या गांवो में निवास करती हैं और शहरों की अपेक्षा गांवो में महिलाओं की स्थिति दयनीय है आज भी महिलाओं को कमजोर माना जाता है उन्हें केवल घरेलू कार्यों एवं कृषि से संबंधित कार्य तक ही सीमित रखा जाता है। यह पत्र भारत में महिला सशक्तिकरण के बारे में वैचारिक ज्ञान और विश्लेषण से संबंधित हैं।

मूल शब्द: महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सामाजिक स्तर

प्रस्तावना

महिला सशक्तिकरण वर्तमान समय में महिलाओं को और अधिक अधिकार देने को इंगित करता है जो अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के संबंध में विचार-विमर्श का उल्लेखनीय विषय हैं महिला सशक्तिकरण का सीधा सा तात्पर्य महिलाओं को स्वतंत्रता (प्रत्येक क्षेत्र में) देने की ओर इंगित करता है ताकि वे स्वयं प्रत्येक कार्य के लिए निर्णय ले सकें और साथ ही महिलाएं बिना किसी सामाजिक व पारिवारिक प्रतिबंध के अपने जीवन का निर्वहन कर सकें। महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं की स्थिति को और बेहतर बनाना है परिवार से मिलकर समाज का निर्माण होता है और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है यदि महिला साक्षर योग्य है तो परिवार के साथ-साथ समाज एवं राष्ट्र के विकास में भी अपना योगदान देती हैं क्योंकि जिस प्रकार बिना दो पहियों के बैलगाड़ी को नहीं चलाया जा सकता उसी प्रकार केवल पुरुषों के कार्यों के कारण प्रत्येक क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता चाहे कृषि, उद्योग, बैंकिंग, सेवा, वाणिज्य सभी क्षेत्रों में महिलाएं आज पुरुषों के बराबर कार्य कर रही हैं आवश्यकता है महिलाओं को और अधिकार, कार्य में समानता, शिक्षा, रोजगार में वृद्धि की जाए जिसे राष्ट्र का समुचित विकास हो सके जब हम सामाजिक विकास की बात करते हैं तो सामाजिक विकास में मुख्यत: शिक्षा स्वास्थ्य स्वच्छता आदि पर फोकस करते हैं भारत अभी भी गांवो का देश कहलाता है क्योंकि लगभग 60% जनसंख्या गांवो में निवास करती हैं गांवो में अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य, जागरूकता का स्तर निम्न बना हुआ है इसका एक मुख्य कारण लिंग भेद हैं पुरुषों में शिक्षा, स्वास्थ्य, जागृति जागरूकता के स्तर में वृद्धि हुई हैं लेकिन महिलाओं में शिक्षा जागरूकता आदि का स्तर निम्न बना हुआ है। समाज में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने उनके प्रति समाज में व्याप्त सोच विचारों को बदलने एवं महिलाओं को जागरूक बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं कुछ योजनाओं का यहां उल्लेख किया गया है

अमृता हाट बाजार: यह योजना वर्ष 2005 में प्रारंभ की गई यह योजना केन्द्र से राज्य, राज्य से संभाग तथा जिले तक अपनी पहचान बना चुकी हैं इस योजनाओं में महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों का प्रदर्शन एवं विपणन किया जाता है।

सखी केंद्र/वन स्टॉप सेंटर: इस योजना का उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं को 24 * 7 घंटे आवश्यक सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध करवाना है राजस्थान के लगभग सभी जिलों में वन स्टॉप केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं वन स्टॉप केंद्र में निम्न सुविधाएं हिंसा से ग्रसित पीड़ित महिला को उपलब्ध कराई जाती है।

महिला स्वयं सिद्धा योजना: इस योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का वित्तीय समावेशन एवं उनका बहुमुखी विकास करना है इस योजना की शुरुआत भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000-01 में की गई इस योजना को पूर्व में संचालित दो योजनाओं इंदिरा महिला योजना और महिला समृद्धि योजना के स्थान पर संचालित किया जा रहा है इस योजना को महिलाओं द्वारा निर्मित स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालित किया जा रहा है।

***Corresponding Author:** डॉ. सन्त कुमार मीणा

अध्ययन का उद्देश्य

1. महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का अध्ययन करने के लिए
2. भारत में महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता का मूल्यांकन करने के लिए
3. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करने के लिए
4. महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी योजनाओं का अध्ययन करने के लिए
5. अनुसंधान की कार्य प्रणाली और अध्ययन का दायरा

अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक है इस पत्र में भारत में महिला सशक्तिकरण का विश्लेषण करने के लिए एक प्रयास किया गया है।

सुस्थिर विकास के लिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

सुस्थिर विकास का तात्पर्य है प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाए जितनी आवश्यकता है क्योंकि प्रत्येक देश के पास प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में है कहीं ऐसा ना हो जाएं हम अपनी आवश्यकताओं के कारण प्राकृतिक संसाधनों का इतना विदोहन कर ले कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें केवल तस्वीरें एवं किताबों में ही देखें सुस्थिर विकास के मुख्य उद्देश्य गरीबी को कम करना, भुखमरी को मिटाना, आर्थिक समानता में कमी करना, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, स्वच्छ पानी आदि जिससे कि पर्यावरण दूषित ना हो इन उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव है जब महिला एवं पुरुष दोनों मिलकर आर्थिक एवं अन्य गतिविधियों को संचालित करें इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक क्षेत्र में लिंग समानता को बढ़ावा दिया जाए कार्यों के निम्न स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र (कृषि उद्योग सेवा) में महिलाओं को समान अवसर एवं निर्णय लेने में उनको भागीदार बनाया जाना आवश्यक है जिससे कि तीव्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

महिला सशक्तिकरण का महत्व

राष्ट्र विकास में महिलाओं के योगदान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया था और महिलाओं को स्वस्थ शक्ति प्रदान करने से संबंधित राष्ट्रीय नीति भी बनाई गई थी हमारे देश में महिलाओं से संबंधित अनेक कुरीतियां एवम प्रथाएं प्रचलित थी जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा आदि। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने एवं महिलाओं को अधिकार एवं समानता देने के कारण ही इन प्रथाओं का उन्मूलन हो सका लेकिन आज भी महिलाओं में यौन उत्पीड़न, कार्य में असमानता, लिंग असमानता आदि समस्याओं से देश ग्रसित हैं यदि देश में महिलाएं सशक्त होगी तभी इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है हमारे देश की महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र (राजनीति,आर्थिक,सांस्कृतिक, सामाजिक) में शीर्ष नेतृत्व की भागीदारी की है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में तीन होते हैं प्राथमिक क्षेत्र जिनमें कृषि एवं कृषि से जुड़ी गतिविधियां पशुपालन आदि शामिल होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिलाए अशिक्षित होती है इसी कारण से प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं पशुपालन गतिविधियों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भागीदारी अधिक है यद्यपि रोजगार प्रदान करने की दृष्टि में कृषि क्षेत्र प्रथम है लेकिन साथ ही छिपी बेरोजगारी जो मुख्यतः कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है वह भी बहुत अधिक है साथ ही देश में श्रम नियोजन का अभाव है जिसके कारण कृषि क्षेत्र सकल घरेलू उत्पादन में मात्र लगभग 15% के आसपास अपना योगदान देता है आवश्यकता है गांव में महिला साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए जिससे कि श्रम नियोजन सही हो फल स्वरूप सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान बढ़ेगा साथ ही देश में गरीबी बेरोजगारी में कमी आएगी समानता को बढ़ावा मिलेगा।

भारत सरकार द्वारा महिलाओं के संबंध में बनाए गए कानून

समय-समय पर भारत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए बनाई गई प्रथाओं एवं लिंग भेदभाव को समाप्त करने के लिए कानूनी अधिकार एवं संवैधानिक नियम बनाए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने समाज में उन को समान अधिकार प्रदान करने हेतु महिला ही नहीं अपितु सभी के निरंतर प्रयास की आवश्यकता है महिलाओं को और अधिक खुले दिमाग से सोचने कार्य करने एवं सभी बाधाओं को समाप्त करने विभिन्न आयामों को प्राप्त करने हेतु कानूनी नियमों को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून निम्न है

i) महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013
ii) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005
iii) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990
iv) अधिनियम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
v) सती प्रथा निवारण अधिनियम
vi) अनैतिक दुर्व्यवहार निवारण अधिनियम
vii) महिला अचल प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986
viii) महिला गर्भावस्था अधिनियम 1971
ix) मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939
x) पारिवारिक कोर्ट एक्ट अधिनियम 1984
xi) भारतीय पेनल कोड 1860
xii) हिंदू विवाह अधिनियम 1955
xiii) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 आदि।

महिला सशक्तिकरण से संबंधित चुनौतियां/बाधाएं

निसंदेह हमारे देश में कुछ वर्षों से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है लेकिन फिर भी महिलाओं की स्थिति विचारणीय विषय बनी हुई है हमारे देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, असमानता, प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर आदि समस्याएं हैं जो मुख्यतः बाधाओं का कार्य करती हैं

शिक्षा: 2021 के अनुसार हमारे देश में कुल साक्षरता दर 74.04% हैं जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% है तथा महिला साक्षरता दर 65.46% हैं पुरुषों के मुकाबले महिला साक्षरता दर कम है जिसके कारण महिलाओं में रोजगार की कमी एवं आर्थिक विषमता की स्थिति बढ़ती जा रही हैं आवश्यक है गांवो में महिला साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए जिससे लघु एवं कुटीर उद्योग में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हो सके तथा देश के आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका में वृद्धि हो।

गरीबी: भारत गांवो का देश कहा जाता है अभी भी लगभग 35% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है गरीबी का मुख्य कारण रोजगार का अभाव है और रोजगार के मामले में महिला पुरुषों से पीछे हैं क्योंकि महिलाओं में जागरूकता का अभाव पाया जाता है गांवो में जागरूकता के कार्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे महिलाएं भी जागरूक हो एवं रोजगार में उनकी भागीदारी बड़े।

स्वास्थ्य एवं सुरक्षा: पहला सुख निरोगी काया कहा जाता है विगत कुछ वर्षों से हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं में निसंदेह वृद्धि हुई है जिसके कारण देश में शिशु मृत्यु दर एवं मातृत्व मृत्यु दर में कमी देखने को मिली है लेकिन आज भी गांवो में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि हेतु भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है जैसे चिरंजीवी योजना, आयुष्मान योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आदि।

व्यवसायिक असमानता: देश में महिलाओं का शिक्षा का स्तर पुरुषों की अपेक्षा निम्न है जिसके कारण व्यवसाय संबंधी असमानता देश में बहुत अधिक हैं महिलाएं मुख्यता कृषि एवं पशुपालन कार्य में ही लगी हुई है अन्य क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान काफी कम है व्यवसाय में प्रधानता, निर्णय लेने में, जोखिम लेने में पुरुषों का योगदान काफी अधिक है उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका काफी कम है क्योंकि देश में समान रोजगार, समान अधिकार का अभाव है।

पारिवारिक असमानता: हमारे देश में पारिवारिक असमानता भी बहुत अधिक हैं हमारे देश में समाज हमेशा पुरुष प्रधान रहा है समाज में विचारधारा बनी हुई है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कमजोर होती हैं समाज में महिलाओं को केवल घरेलू कार्य तक ही सीमित रखा जाता है पारिवारिक असमानता भी एक चुनौती का विषय बना हुआ है जबकि ऐसा नहीं है वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो आज प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के बराबर कार्य कर रही हैं आवश्यकता है समाज में व्याप्त विचारधारा को बदलने की जिससे कि पारिवारिक असमानता में कमी आए।

निष्कर्ष

महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य और समाज द्वारा लिए गए निर्णय एवं नीतिगत पहल में कोई दोष है तो उसकी पहचान की जानी चाहिए देश में आवश्यकता है कि ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो जहां पुरुष एवं महिलाओं को को अपने विचार व्यक्त करने, कार्य करने, निर्णय लेने के समान अवसर प्राप्त हो । लिंग असमानता भारत में ही नहीं अपितु दुनिया के अधिकांश देशों में व्याप्त बुराई हैं जब तक महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर प्राप्त नहीं होंगे तब तक उनकी सच्ची क्षमता, कार्यशैली की पहचान नहीं की जा सकती अतः देश में सब सबसे बड़ी आवश्यकता है महिलाओं के प्रति समाज में जो दृष्टिकोण व्याप्त है उसमें परिवर्तन लाना जब महिलाएं आगे बढ़ती है तो परिवार आगे बढ़ता है परिवार से गांव एवं गांव से संपूर्ण राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर होता है महिला सशक्तिकरण वास्तविक एवं प्रभावी हो इसके लिए सर्वप्रथम महिला को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा समाज में अपनी अलग पहचान बनानी पड़ेगी महिला सशक्तिकरण ना केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता का विषय बना हुआ है केवल सरकारों के प्रयास से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता आवश्यकता है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को बिना लिंग भेदभाव के महिलाओं को आत्म निर्णय निर्णय लेने और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रत्येक क्षेत्र में भाग लेने के समान अवसर प्रदान करने की एक पहल कर देश के लिए आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए तभी सही मायने में देश का सर्वांगीण विकास हो सकेगा।

संदर्भ

1. भट्ट के एस आर वेंकटा रवि ‘‘पंचायती राज संस्थाओं मे एस सी, एस टी और महिला सशक्तिकरण’’ कनिष्का प्रकाशन ।
2. निदेशालय महिला एवम बाल विकास राज. सरकार ।
3. आर के आर्य ‘‘महिला सशक्तिकरण और भारत’’ पब्लिशर डायमंड बुक्स ।
4. रमा शर्मा, एम के मिश्रा ‘‘महिला सशक्तिकरण" पब्लिशर अर्जुन पब्लिशिंग हाउस ।